



मण्डल:- वाराणसी, जनपद:- चन्दौली, तहसील:- चन्दौली
न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 3839/2023

मानव विकास एवं कल्याण संस्था टस्टी वजरिये डॉ० ब्रजेश कुमार वर्मा

बनाम

सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202314180103839

अंतर्गत धारा:- 80, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 26/08/2023

अंतिम आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही मानव विकास एवं कल्याण संस्था वजरिये टस्टी डॉ० ब्रजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुसाफिर प्रसाद वार्ड नम्बर 5 लोकमान्य तिलक नगर सकलडीहा रोड चन्दौली द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि स्थित मौजा चन्दौली परगना मझवार के आराजी नम्बर 335 कुल रकबा 0ण्5220 हे० मे से वैधानिक अंश रकबा 0ण्4935 हे० पर सक्रमणीय भूमिधर व काबिज दाखिल है उक्त आराजी में वादी अपना गैर कृषि कार्य जिसमें हॉस्पिटलकालेज वगै० का कार्य सम्पन्न किया जाना है बाउन्डीयाल हो चुकी है यह कि वादी गैर कृषि कार्य हेतु अपनी क्रय शुद्धा आराजी पर हॉस्पिटलकालेज मान्यता प्राप्त करके गैर कृषि कार्य सम्पन्न करना चाहता है। गैर कृषि घोषित करने की कृपा करें ताकि न्याय हो।

उक्त प्रा० प० की जाँच तहसीलदार चन्दौली से करायी गयी। तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों से स्थलीय जाँच कराकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है कि स्थित मौजा चन्दौली के आराजी नम्बर 335 कुल रकबा 0ण्5220 हे० मे से रकबा 0ण्4935 हे० भूमि आवेदक द्वारा क्रय व दान ली गयी है आकार पत्र 41 व 45 एवं 1356 व 1359 फसली में उपरोक्त आराजी के पुराने नम्बर में काश्तकार का नाम दर्ज है उक्त आराजी पर आवेदक मानव विकास एवं कल्याण संस्था द्वारा संचालित कालेज बनाना चाहता है वर्तमान में उपरोक्त आराजी पर अकृषिक कार्य होता है आवेदक के वैधानिक अंश रकबा 0ण्4935 हे० भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा.80 के अन्तर्गत घोषित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की गयी। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में आराजी निजाई से संबंधित खतौनी व खसरे तथा आधार वर्ष की खतौनी की प्रमाणित प्रति व नकल खसरा 1359 फसली की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया तथा 010व०आ०प०41 व 45 दाखिल किया गया है। तथा उपनिबन्धक चन्दौली द्वारा निर्धारित कृषि दर का एक प्रतिशत के अनुसार मु० 38500 ; अर्थात्स हजार पांच सौ दू रूपये का व्यवसाय शुल्क व उतनी ही धनराशि का न्याय शुल्क व मु०1000 रूपये का सीनांकन शुल्क जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी मौजा चन्दौली परगना मझवार चन्दौली 1426,1431 फसली के अवलोकन से विदित होता है कि आ०न० 335 रकबा 0ण्5220 हे० पर विजय कुमार आदि के नाम दर्ज है। खतौनी 1359 फसली व आकार पत्र 41 व 45 मौजा बगही चन्दौली परगना मझवार चन्दौली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत आराजी काश्तकारी भूमि है। खसरे के अवलोकन से विदित होता है कि भूमि काश्त नहीं की जाती है। चूंकि वादप्रस्त आराजी पर किसीप्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है। गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है। साथ ही वादी द्वारा निर्धारित उद्घोषण शुल्क व न्याय शुल्क व विभाजन शुल्क जमा कर दिया गया है। उक्त आराजी मे मौके पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं किया जाता है एवं गैर कृषि प्रयोजन मे लायी जा रही है। ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में दिये गये प्रयोजनो के द्तर भूमि का उपयोग होता है या धारा.80,42उ०प०रा०से० 2006 में उल्लिखित प्राविधानों इस धारा. के अधिन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका समाधान हो जाए कि भूमि कृषि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे, सार्वजनिक न्यूसेन्सद्ध होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्यरक्ष या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो का उल्लंघन होता है या किसी प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो अकृषिक हेतु उद्घोषित आदेश स्वतः निरप्रभावी हो जायेगा। अभिलेख असत्य पाये जाने पर स्वतः समाप्त माना जायेगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार की आख्या से सहमत होते हुए मौजा चन्दौली परगना मझवार तहसील व जिला चन्दौली में स्थित आ०न० 335 रकबा 0ण्5220 हे० मे से रकबा0ण्4935हे० लगान खाते से अवमुक्त कर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाता है। भविष्य में यदि कोई विपरीतघातिकूल तथा प्रकाश में आता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि प्रस्तावित गाटे का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में है/होना जाता है तो वह अंश इस आदेश से मुक्त होगा। आदेश की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु तहसीलदार चन्दौली को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 26 अगस्त 2023

दिग्बिजय प्रताप सिंह

उप जिलाधिकारी, सदर

चन्दौली।

कल्याण प्रति

31.9.23